अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–02 मंगलवार, दिनांक–21 जुलाई, 2026 ई०।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:02 बजे अप० तक।

[1] प्रश्नकाल :–

i. 07 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित।
ii. 08 अल्प सूचित प्रश्न अनागत।
iii. 08 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
iv. 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
v. 148 तारांकित प्रश्न अनागत।
vi. 01 तारांकित प्रश्न संख्या–1 उच्च शिक्षा विभाग में स्थानांतरित।

तारांकित प्रश्न संख्या–8 के निस्तारण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि बिहार में जहाँ उच्च विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ छह माह के भीतर भूमि उपलब्ध कराकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[2] कार्यस्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, श्री राहुल कुमार एवं श्री अजय कुमार तथा श्री संदीप सौरभ एवं श्री अरूण सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी।

परन्तु आसन की अनुमति प्राप्त कर माननीय सदस्य, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री संदीप सौरभ द्वारा अपने–अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ा गया।

इस दौरान श्री संदीप सौरभ द्वारा पढ़े गये कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। तत्पश्चात आसन द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया है, उनकी बात सरकार के संज्ञान में आ चुकी है तथा आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे अपने स्थान पर बैठ जायें, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी।

तत्पश्चात् माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि यदि कोई नया टैक्स लगाने की बात होती है तो सरकार विधिवत विधेयक लाती है और उस विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों को संशोधन देने का अधिकार होता है तथा सदन को उसे खारिज करने का भी अधिकार होता है। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की ओर से सदन को आश्वस्त किया गया कि अगर

कोई ऐसा निर्णय होता है तो इससे पहले सदन में चर्चा अवश्य होगी। इसके उपरांत सदन में शांति कायम हुई।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अंतर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(i)	श्रीमती छोटी कुमारी	(ii)	श्रीमती संगीता कुमारी
(iii)	श्री जिवेश कुमार	(iv)	श्रीमती संगीता देवी
(v)	श्रीमती बिनीता मेहता	(vi)	श्री आनंद मिश्र
(vii)	श्री कुंदन कुमार	(viii)	श्री आसिफ अहमद
(ix)	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	(x)	श्री शंकर प्रसाद
(xi)	श्री मो० सरवर आलम	(xii)	श्री रितुराज कुमार
(xiii)	श्री सुभाष सिंह	(xiv)	श्री रजनीश कुमार
(xv)	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव	(xvi)	श्रीमती निशा सिंह
(xvii)	श्री बशिष्ठ सिंह	(xviii)	श्री विजय कुमार खेमका
(xix)	श्री मुरारी मोहन झा	(xx)	श्री जनक सिंह
(xxi)	श्री राकेश रंजन	(xxii)	श्रीमती कोमल सिंह
(xxiii)	श्री मो० मुर्शीद आलम	(xxiv)	श्री बबलू कुमार
(xxv)	श्री सियाराम सिंह	(xxvi)	श्री गुलाम सरवर
(xxvii)	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिन्हा	(xxviii)	श्री प्रमोद कुमार
(xxix)	श्री राणा रणधीर	(xxx)	श्री गौतम कृष्ण
(xxxi)	श्री राहुल कुमार सिंह		

आसन द्वारा घोषणा की गयी कि शेष शून्यकाल की सूचनायें जिससे संबंधित माननीय सदस्यगण सदन में उपस्थित हैं, उन्हें पढ़ा हुआ माना जाता है और उन्हें शून्यकाल समिति के विचार हेतु सुपुर्द किया जाता है।

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार, श्री प्रकाश चन्द्र एवं अन्य पाँच सभासदों का योजना एवं विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री रूहैल रंजन, श्री मांजरीक मृणाल एवं अन्य तीन सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री रूहैल रंजन द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

1. माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्रीमती रमा निषाद द्वारा "कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18" के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
2. माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री कुमार शैलेन्द्र द्वारा "कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022–23" के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 03:12 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] <u>विधायी कार्य</u> :– राजकीय विधेयक

(i) **<u>"बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026"</u>**

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का खंड–7 एवं 9 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026"** सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ii) **<u>"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026"</u>**

माननीय मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iii) **<u>"बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026"</u>**

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अमरेन्द्र कुमार एवं श्री राहुल कुमार का नाम जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा गया, परन्तु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (निरसन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(iv) **<u>"बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026"</u>**

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के खंड–2 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(v) **"बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026"**

सर्वप्रथम आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कल माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री निशांत का जन्मदिन था। आसन द्वारा अपनी एवं पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई एवं हार्दिक शुभाकामनायें दी गयी। साथ ही यह कामना की गयी कि यह जन्मदिन उनके जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सफलताओं का संदेश लेकर आए तथा वे सदैव जनसेवा के पथ पर अग्रसर रहें।

तदुपरांत माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री निशांत द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के खंड–4 में संशोधन का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(vi) **"बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री निशांत द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

(vii) **"बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026"**

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, श्री संजय कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया गया और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त **"बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026"** सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 37 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक–22 जुलाई, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–21.07.2026

पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।